उत्तर प्रदेश की अनुसुचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति के लिये

जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

राजस्व निरीक्षक क्षेत्र — पाकबड़ा की जांच आख्या दिनांक — 1-8-91 के आधार पर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी — [illegible] सिंह

सुपुत्र/सुपुत्री/श्री — नत्थू सिंह ... निवासी ग्राम/मो० [illegible]

तहसील मुरादाबाद, नगर मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य की — खटीक

जाति के हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश १९५०) जैसा की समय-समय पर संशोधित हुआ

है संविधान अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश आदेश १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/~~अनुसूचित जन~~

जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमति/कुमारी — [illegible] सिंह तथा अथवा उनका परिवार

उत्तर प्रदेश के ग्राम/मो० [illegible] तहसील मुरादाबाद, नगर मुरादाबाद

जिला मुरादाबाद में सामान्यता रहता है।

संख्या: [illegible]

दिनांक : [illegible]

तहसीलदार

तहसीलदार
मुरादाबाद

श्रीमानजी

प्रार्थी [illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह मो० - चिरौंजा टोला लखमापार मुरादाबाद का निवासी है। प्रार्थी के प्रमाण-पत्र की जाँच के बाद ज्ञात है कि प्रार्थी जाति से नागेश है। प्रार्थी के पिता का [illegible] की शाखा अलीगंजी संलग्न है। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

रविन्द्र सिंह राठी
लेखपाल
क्षेत्र रामकृष्ण तिवारी
तह० मुरादाबाद

97